न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/1

अपीलान्ट

1. भीकीदेवी पुत्री श्री आईदान पत्नी प्रेमचंद जाति जाट निवासी पाचुण्डा कलां तहसील सोजत जिला पाली
2. वरजूदेवी पुत्री श्री आईदान पत्नी रमेशचंद जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा.ज. जिला पाली
3. सुखीदेवी पुत्री श्री आईदान पत्नी नेमाराम जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा.ज. जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. तहसीदार मारवाड़ जंक्शन तहसील मा.ज. जिला पाली
2. भू. अभिलेख निरीक्षक धुन्धला तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. मिश्रीदेवी पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम अलावास बेरा नवाआट तहसील सोजत जिला पाली

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री आन्नद भाटी
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28/10/2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम धुन्धला के नामान्तरकरण संख्या 548 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 बावजूद सम्मन तामिल वक्त बहस न्यायालय में असालतन वकालतन अनुपस्थित रहने से प्रार्थी अधिवक्ता एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के न्यायालय में प्रकरण संख्या 44/2010 बअनवान भीकीदेवी बनाम सुगना वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 54ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम धुन्धला के खसरा नम्बर 271, 272, 273, 274, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 कुल खसरा 11 कुल रकबा 34.2339 हैक्टर भूमि से संबधित है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थी ने जैर अपील आराजी के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र राजस्व विविध प्रकरण संख्या 143/2010 के द्वारा मौका एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रखने का आदेश दिनांक 24.03.2009 पारित किये गये है, जो आज भी प्रभावी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन में जैर अपील आराजी से सम्बन्धित विचाराधीन प्रकरण कोराना काल में अदम पैरवी में खारिज हो जाने के कारण अपीलाण्ट ने दिनांक 16.06.2022 को उक्त मूल प्रकरण को पुनः रेस्टोर करवाया। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने राजस्व अधिकारीयों से मिलावट कर जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। जिसमे बिना किसी आदेश के उक्त आराजी का विभाजन कर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 288 का अलग से खाता नम्बर 90 बनाकर, अलग से शुद्धि पत्र के जरिये रेस्पोडेण्ट संख्या 03 का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलाण्ट ने तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर आराजी से सम्बन्धित वाद न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए जैर आराजी का नामान्तरकरण नहीं भरने का निवेदन किया था लेकिन तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने उक्त प्रार्थना पत्र पर घोर किये बिना रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को अनुचित लाभ देने की नियत से जैर अपील नमान्तरकरण स्वीकृत कर शुद्धिकरण की प्रविष्टि का आदेश जारी कर दिया जो विधिनुसार नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये जैर अपील को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम धुन्धला के नामान्तरकरण संख्या 548 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2022 के विरूद्ध पेश की है। है। अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकण से सम्बन्धित आराजी ग्राम धुन्धला के खसरा नम्बर 271, 272, 273, 274, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 कुल खसरा 11 कुल रकबा 34.2339 हैक्टर भूमि से सम्बन्धित वाद संख्या 44/2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन में विचाराधीन है तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 143/2010 में आदेश दिनांक 24.03.2009 के द्वारा जैर आराजी पर मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश भी पारित हो चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा मूल वाद संख्या 44/2010 अदम पैरवी में दिनांक 18.02.2022 को खारिज कर दिया गया, जिसे पुनः रेस्टोर करवाने हेतु अपीलाण्ट ने दिनांक 16.06.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 21/05 में पारित आदेश की पालना में नामान्तकरण प्रति पर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित किया हुआ है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा जैर आराजी के सम्बन्ध में अपील संख्या 25/2007 अनवान भीकीदेवी बनाम आईदान व अन्य, जो कि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 21/05 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2007 के विरूद्ध पेश की गई थी, में दिनांक 24.03.2009 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजीनामें के परिपेक्ष्य में पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे तथा इन प्रार्थनों पत्र के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखे। जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैर आराजी से सम्बन्धित वाद के निस्तारण तक न्यायायल राजस्व प्राधिकारी पाली द्वारा राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसका नोट भी नामान्तरकरण में अंकित किया गया था। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2022 को पेश कर जैर आराजी के सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 25/2007 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 143/2010 में प्रदत्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वर्तमान में प्रभावी होने से उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने का निवेदन किया है जबकि तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण में उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन में विचाराधीन प्रकरण खारिज होने एवं उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन आदेश नहीं होने का हवाला देते हुए उक्त नामान्तरकण दिनांक 15.07.2022 एवं शुद्धिकरण आदेश 24.09.2022 को स्वीकृत कर दिया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार ने कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं करते हुए, जैर आराजी पर स्थगन आदेश होने के बावजूद रेस्पोडेण्ट को अनुचित लाभ पहुचाने की नियत से विधिविरूद्ध तरीके से दिनांक 15.07.2022 को अपीलाधीन नामान्तरकण स्वीकृत कर दिया, जो काबिल निरस्त योग्य है।

जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण से सम्बन्धित विवादित आराजी का पक्षकारो के मध्य राजस्व वाद चल रहा है और उस दरम्यान यदि विवादित आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है तो उससे सम्बन्धित पक्षकारों के हक अधिकार प्रभावित होते है, जिसके सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावे विचाराधीन हों तो दावों के निर्णय होने तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं हो। लिहाजा प्रथम दृष्टया जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिविरूद्ध प्रतीत होने से खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में आर.आर.डी. 1999 पेज 481 के अनुसार – "Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Section 135 Mutation, when regular suit is pending in competent court - Summary proceedings should be stayed.- It is established principle of law that where regular suit is pending in competent court, the summary proceedings of

अति. जिला कलेक्टर, पाली

mutation should be stayed because in regular suit the rights of the parties are decided after taking evidence of both the parties. The Board of Revenue accepted the appeal." जो हस्तगत प्रकरण पर हूबहू परिलक्षित होता है। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्त को दृष्टिगत रखते हुये यह अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम धुन्धला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 15.07.2022 एवं शुद्धिकरण आदेश दिनांक 24.09.2022 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख माफिक पालनार्थ लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली